राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 3723/2021

ईश्वर सिंह **—अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
3. सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड निवाई, जिला टोंक।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.09.2021
आदेश की दिनांक : 21.08.2023

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.07.2020 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी की सेवाओं की गणना दिनांक 22.12.1985 से करते हुए प्रथम एसीपी 3600 व द्वितीय एसीपी 4200 में निर्धारण कर पेंशन परिलाभों पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एवं शेष राशि का भुगतान किया जावे तथा ग्रेच्युटी से वसूल की गई राशि रूपये 1,42,077/— मय 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापिस लौटाई जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :—

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 1983 में दैनिक वेतन भोगी के आधार पर की गई थी और 2 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उसे अर्द्धस्थायी मानते हुए पम्प चालक द्वितीय के पद से दिनांक 31.03.2020 को

राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया। अपीलार्थी को वर्कचार्ज सेवा नियमों के अनुसार दिनांक 22.12.1985 से अर्द्धस्थायी मानते हुए 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से सेवानिवृत्ति पश्चात् आलोच्य आदेश दिनांक 15.07.2020 के द्वारा अपीलार्थी की ग्रेच्युटी में से रूपये 1,42,077/— की कटौती कर वसूली की गई, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन दिया, परंतु उसका कोई निराकरण नहीं किया गया।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.07.2020 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी की सेवाओं की गणना दिनांक 22.12.1985 से करते हुए प्रथम एसीपी 3600 व द्वितीय एसीपी 4200 में निर्धारण कर पेंशन परिलाभों पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एवं शेष राशि का भुगतान किया जावे तथा ग्रेच्युटी से वसूल की गई राशि रूपये 1,42,077/— मय 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापिस लौटाई जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि सेवानिवृत्ति की दिनांक को अपीलार्थी 3600 ग्रेड पे में वेतन प्राप्त कर रहा था, किंतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.10.2017 को ही सातवें वेतनमान स्वीकार करते हुए ग्रेड पे में रिवाईज्ड किए गए थे। लेखाधिकारी द्वारा तद्नुसार सही ग्रेड पे एल8 में फिक्सेशन करना चाहिए था, जो नहीं किए जाने के कारण अपीलार्थी उच्च लेवल का वेतन प्राप्त कर रहा था और पेंशन विभाग द्वारा आक्षेप करने के फलस्वरूप रिवाईज्ड फिक्सेशन कराया। सही पेंशन स्वीकृत कराई गई, जिसके कारण वसूली अपीलार्थी की ग्रेच्युटी में से की गई, जो नियमानुसार सही एवं उचित है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए यह बहस की है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 05.07.2013 के अनुसार ग्रेड पे को रिवाईज्ड करते हुए जो पूर्व में ग्रेड पे 2400 थी, उसको पम्प चालक द्वितीय की एंट्री पे ग्रेड 2400 मानते हुए 9 वर्ष की सेवा पर 2800 व 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 3600 ग्रेड पे देने के आदेश जारी किए गए और आदेश दिनांक 22.12.2013 से देते हुए ग्रेड पे 3600 का लाभ दिया गया, जो नियमानुसार है। अतः अपीलार्थी को

9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ग्रेड पे 2800, 3600 एवं 4200 का मय शेष राशि भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 1983 में दैनिक वेतन भोगी के आधार पर की गई थी और 2 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उसे अर्द्धस्थायी मानते हुए पम्प चालक द्वितीय के पद से दिनांक 31.03.2020 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया। अपीलार्थी को वर्कचार्ज सेवा नियमों के अनुसार दिनांक 22.12.1985 से अर्द्धस्थायी मानते हुए 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से सेवानिवृत्ति पश्चात् आलोच्य आदेश दिनांक 15.07.2020 के द्वारा अपीलार्थी की ग्रेच्युटी में से रूपये 1,42,077 / – की कटौती कर वसूली की गई। जहां तक अपीलार्थी से उसकी ग्रेच्युटी में से राशि रूपये 1,42,077 / – वसूल किए जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 31.03.2020 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी उक्त आदेश के द्वारा मध्यान्ह् पश्चात् राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया और सेवानिवृत्ति के 4 माह बाद अपीलार्थी की उपादान (ग्रेच्युटी) में से उक्त राशि की वसूली कर ली गई, जो हमारे मत में नियम विरूद्ध एवं माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तों के विपरीत है। ऐसे मामलों में कार्मिकों को पूर्व में भुगतान की गई राशि की वसूली किए जाने के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195** के प्रकरण में कार्मिक को भुगतान की गई राशि के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं :–

"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:

(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).

(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.

(iii) ***Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.***

(iv) ***Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.***

(v) ***In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee. would be iniquitious or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."***

यह कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195** वाले प्रकरण में यह अवधारित किया है कि इस प्रकार मामलों में वसूली नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी ने कभी भी कोई misrepresentation या धोखाधड़ी नहीं की है। इस कारण उसको जो भुगतान किया गया है, वह नियमानुसार किया गया है। उसकी वसूली किया जाना अवैधानिक है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.07.2020 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि यदि अपीलार्थी से उक्त आदेश की पालना में कोई वसूली की गई है तो उसे नियमानुसार एवं न्यायिक दृष्टान्तों को दृष्टिगत रखते हुए वापिस लौटाई जावे। अतः उक्त निर्देशों के साथ अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य